

02.8.21.

वकील: उभय पक्ष उपर। वकील अपीलान्ट ने  
रेसपो. 7 व 12 के सम्मन पेश करने में असमर्थता  
जाहिर की। अतः पत्रावली अदम लक्ष्मील में  
रवारिज की जाती है। पत्रावली कैसल शुमार होकर  
नम्बर से कम की जावे। बाद जाता कारविल  
दफतर हो। १

भू प्रबन्ध अधिकारी

पदेन

राजस्व अपील प्राधिकारी

भरतपुर (राज.)